

प्रेस नोट दिनांक-16.09.2022

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर गौकश व जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में गौ तस्करो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर, व क्षेत्राधिकारी सर्किल नकुड, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी विनय कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त गयूर पुत्र सत्तार निवासी लण्ढौरागुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को लण्ढौरा गुर्जर मोड़ से रात्रि में 21.00 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे के 01 तमन्चा मय 02 कार0 जिन्दा 315 बोर बरामद किये गये हैं। अभियुक्त को मा0 न्यायालय ए0डी0एम0 प्रशासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.7.22 के द्वारा जिला बदर किया गया था। जानकारी होने के बाद भी जिले की सीमा में रहकर अपराध कर रहा था। अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.09.2022 को ग्राम फतेहपुर गुर्जर में अपने साथियों के साथ गौवध कर अवषेश नाले में डाल दिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 317/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया था अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. गयूर पुत्र सत्तार निवासी लण्ढौरागुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक तमन्चा मय दो कार0 जीन्दा 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 184/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना रामपुर मनिहारन
2. मु0अ0सं0 328/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 329/22 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना रामपुर मनिहारन
4. निवारक कार्यवाही नं0 184/21 धारा 3/4 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना रामपुर मनिहारन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्र0नि0 श्री विनय कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. उप0निरी0 बेदप्रकाश थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. उप0निरी0 रौबिल्स कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
4. हैड का0 492 हरेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
5. का0 782 विपिन कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
6. का0 2550 प्रदीप कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
7. का0 366 लोकेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
8. का0 1473 सन्दीप कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक-16.09.2022

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस ने “भारतीय जाली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट” का किया पर्दाफाश, 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से नकली नोट छापने के उपकरण बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2022 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अभियुक्त पोपीन पुत्र अमरपाल निवासी ताहरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को फव्वार चौक मेला गुधाला से 8000 रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 347/22 धारा 489B/489C भादवि पंजीकृत हुआ था। उक्त गैंग के पर्दाफाश करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशों के अनुरूप में पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.09.2022 को थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा जाली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 शातिर **अभियुक्त विकास पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को अम्बाला रोड नहर पुल के पास से समय करीब 19.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर नोट बनाने के उपकरण लैपटाप, प्रिन्टर आदि सामान बरामद किया गया है। अभियुक्त विकास उपरोक्त को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 347/22 धारा 489A/489B/489C भादवि में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तथा गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-विकास पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर।

गैंग के सदस्यों के नाम/पते:-

- 1-पोपीन पुत्र अमरपाल निवासी ताहरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर। (दिनांक 14.09.22 को गिरफ्तार)
- 2-विकास पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर। (दिनांक 15.09.22 को गिरफ्तार)
- 3-पिन्टू पुत्र राकेश निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
- 4-कबीरदास उर्फ रवि उर्फ बिलोटा पुत्र सुरेश कुमार निवासी शाहजहाँपुर थाना सरसवा जनपद सहारनपुर।
- 5-पवन पुत्र श्यामसिंह निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक लैपटाप एचपी कम्पनी मय चार्जर
- 2-एक प्रिन्टर एचपी कम्पनी
- 3-एच चिप SANDISK ULTRA 16 GB
- 4-एक अदद पेन ड्राईव SANDISK 32 GB
- 5-एक अदद ग्लू स्टिक
- 6-दो अदद टेप जिनमें एक सफेद व एक हरी
- 7-एक अदद पेन्सिल कटर
- 8-एक पेपर कटर
- 9-एक स्टेपलर रंग तोतई
- 10-दस अदद स्टाम्प 10, 10 रुपये के जिनमें 05 कटे हुए व 05 पूर्ण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 3-का0 1926 अमित थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 4-का0 1772 पवित्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 16.09.2022

थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त

गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाये जा रहे नशीले पदार्थों की खरीद फरौक करने वालों के विरुद्ध अभियान व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिनांक 16.09.22 को उ०नि० श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा व का० 167 जयदेव शर्मा द्वारा अभि० पुनीत पुत्र राजकुमार कश्यप नि० ग्राम रंगैल थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर को 12 ग्राम नाजायज स्मैक सहित काली मन्दिर के सामने सड़क पुख्ता मु०नगर रोड़ से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त:-

(1) पुनीत पुत्र राजकुमार कश्यप नि० ग्राम रंगैल थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

(1) 12 ग्राम नाजायज स्मैक

आपराधिक इतिहास

(1) मु०अ०सं० 333/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(1) उ०नि० श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

(2) का० 167 जयदेव शर्मा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 16.09.2022

**थाना तीतरो पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को 05 बोतल शराब हरियाणा
मार्का माल्टा ब्राण्ड सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।**

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरो के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.09.2022 को थाना – तीतरो की पुलिस टीम द्वारा अभि० राजा पुत्र सुरेन्द्र निवासी मौहल्ला अफगानान कला कस्बा व थाना तीतरो जिला सहारनपुर उम्र करीब 25 वर्ष को 05 बोतल शराब हरियाणा मार्का माल्टा ब्राण्ड सहित कच्ची गढी रोड पर मंदरसे से 50 मीटर आगे कस्बा तीतरो क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 89/2022 धारा 60/63 EX ACT पंजीकृत किया गया । जिसे मा. न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

1. राजा पुत्र सुरेन्द्र निवासी मौहल्ला अफगानान कला कस्बा व थाना तीतरो जिला सहारनपुर

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु०अ०सं० 164/2021 धारा 457/380/411 IPC

2.मु०अ०सं० 33/2022 धारा 60(1) EX ACT

3.मु०अ०सं० 34/2022 धारा 457/380/411 IPC

4.मु०अ०सं० 35/22 धारा 4/25 A ACT

5.मु०अ०सं० 89/2022 धारा 60/63 EX ACT

बरामदगी का विवरण

05 बोतल शराब हरियाणा मार्का माल्टा ब्राण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

(1) का० 240 सोनू कुमार, थाना – तीतरो, जिला – सहारनपुर

(2) का. 1533 सोनू कुमार, थाना – तीतरो, जिला – सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 16/09/22

थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक गैस सिलेण्डर, 05 लीटर रंग लाल, एक छोटी बैटरी एमराँन कम्पनी रंग सफेद व एक डण्डा बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा तीन नफर अभिगण को गिरफ्तार किया गया। तथा चोरी गया माल व घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किये गये। अभिगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है-

1. दिनांक 15/09/22 को वादी श्री मनोज सिंघल पुत्र प्रमोद सिंघल निवासी मौहल्ला महादेव जुड़डी रोड कस्बा नकुड थाना नकुड जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से एक गैस सिलेण्डर 05 लीटर रंग लाल व एक छोटी बैटरी एमराँन कम्पनी रंग सफेद को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 350/22 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 15.09.22 को थाना नकुड पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभि0 राजा उर्फ राजकुमार पुत्र राजेश नि0 मौ0 महादेव निकट होलीवाला चौक कस्बा नकुड सहारनपुर को मय मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान एक गैस सिलेण्डर 05 लीटर रंग लाल व एक छोटी बैटरी एमराँन कम्पनी रंग सफेद के समय करीब 20.30 बजे विश्वकर्मा चौक के पास से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।
2. दिनांक 13/08/22 को वादी श्री राशिद पुत्र जमील नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभिगण द्वारा लाठी डंडो व धारदार हथियार से लेस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई नवाब के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 305/2022 धारा 147/148/452/323/324/307/506 भादवि 1. कासम अली पुत्र मुदा 2. आसिफ पुत्र कासम अली 3. वाजिद पुत्र कासम अली 4. रिजवान पुत्र कासम अली 5. आरिफ पुत्र शफी नि0 गण ग्राम घाटमपुर थाना नकुड सहारनपुर पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.09.22 को थाना नकुड पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र कासम अली नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को समय करीब 10.15 बजे अभियुक्त के मकान के बाहर से तथा अभि0 2. रिजवान पुत्र कासम अली नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को समय करीब 23.30 बजे टिडौली तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त डण्डा आसिफ उपरोक्त की निशां देही से आसिफ के घर की छत से बरामद किया गया।

अभि0 का नाम व पता:-

1. राजा उर्फ राजकुमार पुत्र राजेश नि0 मौ0 महादेव निकट होलीवाला चौक कस्बा नकुड सहारनपुर
2. आसिफ पुत्र कासम अली नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. रिजवान पुत्र कासम अली नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक गैस सिलेण्डर 05 लीटर रंग लाल व एक छोटी बैटरी एमराँन कम्पनी रंग सफेद
2. एक अदद डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड. सहारनपुर।
2. उ0नि0 देवेश कुमार थाना नकुड. सहारनपुर।
3. उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना नकुड. सहारनपुर।
4. है0का0 06 जोगेन्द्र थाना नकुड. सहारनपुर।
5. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना नकुड. सहारनपुर।
6. चा0का0 365 राहुल थाना नकुड. सहारनपुर।
7. का0 1582 सन्नी राणा थाना नकुड. सहारनपुर।
8. का0 1257 संदीप कुमार थाना नकुड. सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 16/09/22

**थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस ने चोरी के दो इलैक्ट्रानिक कांटा सहित
अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल:-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 428/2022 धारा 379/411 भादवि में चोरी के दो इलैक्ट्रानिक कांटा बरामद करते हुये **अभियुक्त जलील पुत्र शमशाद नि0 हसनपुर अम्बेहटा थाना झिंझाना जिला शामली** को ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर से आज दिनांक 16/09/22 को समय 10.30 AM बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जलील पुत्र शमशाद नि0 हसनपुर अम्बेहटा थाना झिंझाना जिला शामली

बरामदगी:-

दो इलैक्ट्रानिक कांटा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र रावल, गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.हे0कां0 494 योगेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.कां0 1870 पुनित कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर